क्रमांक 4211220/निविदा/सर्कु./भाग–4/2016
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक / /2017

प्रति,

मुख्य अभियंता

1. महानदी परियोजना, रायपुर।
2. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
3. हसदेव कछार, बिलासपुर।
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।
5. हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर।

विषय :– अनेक निविदाकारों द्वारा एक ही कम्प्यूटर के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

===00===

उपरोक्त विषय में यह देखने मे आ रहा है कि जल संसाधन विभाग में आमंत्रित की जा रही निविदाओं में से किसी–किसी निविदा मे एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक ही कम्प्यूटर का उपयोग करते हुये निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है। निविदाकारों द्वारा अपनायी जाने वाले इस प्रक्रिया से जहां एक ओर निविदा प्रक्रिया दूषित होती है वही दूसरी ओर कार्टलाईजेशन की आशंका उत्पन्न होती है। इससे निविदाओं में स्वस्थ प्रतियोगिता प्रभावित होती है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निविदाकारों के लिए दिशा–निर्देश जारी किया जा रहा है। तद्नुसार आपकी संरचना अंतर्गत समस्त संभागीय कार्यालयों के माध्यम से निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को सूचित करने की व्यव्स्था करें कि :–

आमंत्रित निविदा में भाग लेने वाला निविदाकार यह सुनिश्चित करे कि किसी एक निविदा विशेष के लिए अपना प्रस्ताव निविदा प्रस्तुत करने हेतु वह जिस कम्प्यूटर का उपयोग कर रहा है, उस कम्प्यूटर का उपयोग उसके अतिरिक्त अन्य कोई निविदाकार उसी निविदा के लिये नहीं करेगा। निविदाकार यह भी सुनिश्चित करे कि यदि वह बाजार के सायबर कैफे के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर रहा है तो उसके कम्प्यूटर का उपयोग उसके पूर्व किसी अन्य निविदाकार द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति पाये जाने पर संबंधित निविदाकारों जिनके द्वारा एक निविदा में एक ही कम्प्यूटर का उपयोग करना पाया जायेगा, उन सभी के निविदा प्रस्तावों को अयोग्य निविदा मानते हुये उन्हे अपात्र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित निविदाकारों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. एफ 5–8/19 /2013/निविदा, दिनांक 29.10.2014 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह भी निर्देश है कि इन दिशा–निर्देशों की जानकारी निविदाकारों को उनके ई–मेल / व्हाट्सएप आदि के माध्यम से तुरंत दी जाये।

सहपत्र :– शून्य।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 4211220 / निविदा / सर्कू. / भाग–4 / 2016 / 16726 रायपुर, दिनांक 02 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सादर संप्रेषित्।
2. मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, निविदा दक्षता प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्टेट डाटा सेन्टर, सिहावा भवन, रायपुर की ओर उपरोक्त निर्देशों के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित्।

सहपत्र :– शून्य।

31.10.17

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

31/10